

121

नं. 45/3/91-5 जी.एस.-I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आमुक्त अम्बाला, हिसार, रोहतक एवं गृहगांव मण्डल।
2. सभी उपायुक्त एवं सभी उप मंडल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय।
दिनांक चण्डीगढ़ 13 मई, 1991।

विषय: —मानसिक रूप से विकलांग/कमजोर बच्चों के माता पिता को सुगम स्थानों पर नियुक्त/स्थानान्तरित करने बारे।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित विषय की ओर आपका ध्यान दिनांक और यह कहें कि सरकार ने स्थानान्तरण की नीति में यह बिन्दु भी जोड़ने का निर्णय लिया है कि मानसिक रूप से विकलांग/कमजोर बच्चों के माता-पिता ऐसे बच्चों के इलाज के लिये जिन स्थानों पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं वहाँ सामान्य स्थानान्तरण के से स्थानान्तरित किया जायें। इन निर्देशों की अनुपालना दृढ़ता से की जाए।

भवदीय,

हस्ता/—

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति सभी वित्तीयकृत एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनाार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

हस्ता/—

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में

सभी वित्तीयकृत एवं सचिव, हरियाणा सरकार।

अर्था क्रमांक 45/3/91-5 जी.एस. I.

दिनांक 13 मई, 1991